



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 12.07.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस, सर्विलांस सैल व स्वाट की संयुक्त टीम ने थाने के मु०अ०सं० 386/25 धारा 103(1) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़ (घायलावस्था में) को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे आलाकत्ल 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर व एक मो०सा० यामाहा एफजैड बिना नम्बर प्लेट बरामद ।

### संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 08.07.2025 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी इन्दराज पुत्र श्रीराम सिंह निवासी ग्राम संतोषपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात बदमाशों द्वारा उसके पुत्र विपिन उर्फ गोधू की गोली मारकर हत्या कर दी है । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु०अ०सं० 386/25 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया एवं विवेचनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गयी व



अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना कोतवाली बागपत पर टीमों का गठन किया गया ।

### कार्यवाही -

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस, सर्विलांस सैल व स्वाट की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु0अ0सं0 386/25 धारा 103(1) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़ (घायलावस्था में) गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से आलाकत्ल 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर व एक मोटरसाईकिल यामाहा एफजैड बिना नम्बर प्लेट बरामद हुई है ।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 392/25 धारा 109 बी.एन.एस व 3/25/27 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

घटनास्थल व समय- दिनांक 12.07.2025, मेरठ रोड नहर खडंजा बाघू जाने वाला रास्ता थाना कोतवाली बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता- रामवीर उर्फ भूरा पहलवान पुत्र उदयवीर निवासी ग्राम बाघू थाना कोतवाली बागपत बागपत (घायल)

### अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 309/12 धारा 307/120बी भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 643/19 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

### बरामदगी का विवरण-

- आलाकत्ल 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर ।
- एक मोटरसाईकिल यामाहा एफजैड बिना नम्बर प्लेट ।

### पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि उसके गांव का एक व्यक्ति नई दिल्ली में दुकान पर नौकरी करता था। दुकानदार की बहन ने अपनी मर्जी से शादी की थी, जिसे उसके पति द्वारा शादी के 02 माह बाद ही छोड़ दिया था, उसकी बहन को छोड़ देने के कारण वह उसके पति की हत्या कराना चाहता था। मेरे ग्राम के व्यक्ति ने मेरी और विपिन उर्फ गोधू की उससे जान पहचान करायी थी और हम दोनों ने उसकी बहन के पति की हत्या करने की 15 लाख रुपये की सुपारी ली थी, जिसमें से 05 लाख रुपये उसने विपिन उर्फ गोधू व मुझे दे दिये थे। सारे पैसे विपिन उर्फ गोधू के पास रखे थे। कुछ दिन बाद विपिन उर्फ गोधू के गांव के झगडे में जेल चले जाने के कारण मेरे ग्राम के व्यक्ति के चचेरे भाई व उसके मित्र ने नोयडा में उसकी बहन के पति की हत्या कर दी थी। हम दोनों को जो 05 लाख रुपये मिले थे, वह विपिन उर्फ गोधू के पास ही थे, विपिन ने वह पैसे वापस नहीं किए थे व मैंने जब अपना हिस्सा मांगा तो विपिन मेरा हिस्सा देने में टालमटोल कर रहा था और सारे पैसे अकेला ही हड़पना चाह रहा था। मैंने अपने साथी राहुल पुत्र इकबाल निवासी ग्राम सररपुर थाना कोतवाली बागपत के साथ मिलकर दिनांक 07.07.2025 की रात्रि को विपिन जब बागपत से दूध देकर मोटरसाईकिल से अपने गांव लौट रहा था तभी रास्ते में उसको घेरकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 2-निरीक्षक श्री राकेश कुमार शर्मा प्रभारी सर्विलांस सैल मय टीम जनपद बागपत।
- 3-उ0नि0 श्री सूर्यदीप सिंह प्रभारी स्वाट मय टीम जनपद बागपत।
- 4-उ0नि0 श्री मंजीत सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 5-उ0नि0 श्री सत्यम जंघाला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 6-उ0नि0 श्री विकास चौहान थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 7-है0का0 339 राकेश थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 8-है0का0 491 रामकुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 9-का0 467 टिंकू अधाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 10-का0 44 संजीव थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 12.07.2025

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 444/25 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/131/109(1) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 12.07.2025 को थाना बडौत पर वादी श्री राहुल कुमार पुत्र जसवीर सिंह निवासी ग्राम हिलवाडी थाना बडौत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि



अभियुक्तों 1-मनोज, 2.बसंत, 3.बबलू पुत्रगण सत्यपाल, 4. सावन पुत्र मनोज, 5.बिल्लू पुत्र मलखान, 6.नीरज, 7.सुधीर पुत्रगण बिल्लू, 8.सुशील, 9.विकास, 10.रोहित पुत्रगण राजवीर, 11.बिक्रम पुत्र मलखान, 12.अनुज, 13.अनिल पुत्रगण बिक्रम, 14.आर्यन पुत्र सुनील, 15.संदीप पुत्र बसंत निवासीगण ग्राम हिलवाडी थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा एक राय होकर हाथों में तमंचे व लाठी-डन्डो लेकर जान से मारने की नीयत से उसके व उसके परिवार पर हमला कर मारपीट की गयी, जिसमें उसके परिजन गंभीर रूप से घायल हो गये । इस सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 444/25 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/ 131/109(1) बी.एन.एस.पंजीकृत किया गया ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 444/25 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/131/109(1) बी.एन.एस. से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

बसंत पुत्र सत्यपाल निवासी ग्राम हिलवाडी थाना बडौत जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री पंकज कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री ऋषिभान सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 315 ईशपाल सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4-है0का0 268 ग्रीश कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 5-है0का0 408 सुकवीर सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 12.07.2025

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 445/25 धारा  
191(2)/191(3)/333/115(2)/ 131/109(1)/352/351 बीएनएस से  
सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

**संक्षिप्त विवरण:-**

दिनांक 12.07.2025 को  
थाना बडौत पर वादी श्री  
मनोज कुमार पुत्र  
सत्यपाल सिंह निवासी  
ग्राम हिलवाडी थाना  
बडौत जनपद बागपत ने  
लिखित तहरीर दी कि



दिनांक 11.07.2025 को समय 19.30 बजे अभियुक्तों 1.सुमित, 2-रवि पुत्रगण  
जसवीर, 3.राहुल, 4.अमित, 5.अरविन्द, 6.अंकित पुत्रगण सतवीर, 7.गौरव,  
8.पिनू पुत्रगण धनपाल निवासीगण ग्राम हिलवाडी थाना बडौत जनपद बागपत  
व तीन-चार अज्ञात द्वारा उसके घर में घुसकर एक राय होकर हाथों में धारदार  
हथियार लेकर जान से मारने की नीयत से उसके परिजनों के ऊपर हमला कर  
मारपीट की गयी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गये तथा गाली-गलौच  
करते हुए जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में थाना बडौत पर  
मु0अ0सं0 445/25 धारा 191(2)/191(3)/333/115(2)/131/109(1)  
/352/351 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 445/25 धारा 191(2)/191(3)/333/115(2)/131/109(1)/352/351 बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता:-

गौरव पुत्र धनपाल निवासी ग्राम हिलवाडी थाना बडौत जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री पंकज कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री ऋषिभान सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 315 ईशपाल सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4-है0का0 268 ग्रीश कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 5-है0का0 408 सुकवीर सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।





प्रेस नोट

थाना छपरौली

दिनांक 12.07.2025

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 58/2025 धारा  
333/351(2)/352 बीएनएस में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक

17.06.2025 को

थाना छपरौली

वादी श्री देवेन्द्र

सिंह पुत्र स्व0

सुरेशपाल सिंह

निवासी ग्राम हेवा

थाना छपरौली



जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1. विपिन उर्फ भगौटा पुत्र आखेराम, 2.अंकित पुत्र कृष्ण निवासीगण ग्राम हेवा थाना छपरौली जनपद बागपत द्वारा उसके घर पर आकर गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी । इस सम्बन्ध में थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 158/25 धारा 333/351(2)/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 158/25 धारा 333/351(2)/352 बीएनएस में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

## गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अंकित पुत्र कृष्ण निवासी ग्राम हैवा थाना छपरौली जनपद बागपत ।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अनुज कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत ।

2-का0 524 सौपाल थाना छपरौली जनपद बागपत ।

3-का0 594 सरफराज थाना छपरौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 12.07.2025

ऑपरेशन स्मार्टिल के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 190/25 धारा 137(2) बीएनएस में नाबालिग गुमशुदा उम्र 15 वर्ष को अथक प्रयास के बाद सकुशल किया बरामद ।

## कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्मार्टिल के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 190/25 धारा 137(2) बीएनएस से सम्बन्धित नाबालिग



गुमशुदा उम्र 15 वर्ष को अथक प्रयास के बाद सकुशल बरामद कर उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया ।

परिजनों द्वारा थाना रमाला पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी ।

**बरामद करने वाली पुलिस टीम-**

- 1-उ0नि0 श्री केदार सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-का0 924 विशाल वासुदेव थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3-का0 963 प्रभात यादव थाना रमाला जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना छपरौली

दिनाँक 12.07.2025

**थाना छपरौली पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।**

**कार्यवाही:-**

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस



द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

**गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों का नाम व पता-**

- 1-सोनू पुत्र दयानन्द निवासी ग्राम चौबली थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 2-असरा पुत्र असगर निवासी ग्राम औढापुर थाना छपरौली जनपद बागपत ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

- 1-उ0नि0 श्री राहुल प्रताप सिंह थाना छपरौली ।
- 2-है0का0 772 अमरीश थाना छपरौली ।
- 3-का0 822 संदीप थाना छपरौली ।

